



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई०

पौष 11, 1925 शक सम्वत्

### उत्तरांचल शासन

#### विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 478/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 01 जनवरी, 2004

#### अधिसूचना

##### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दि० 28-12-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक

व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण

आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं० 19, वर्ष 2003)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिये

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,  
और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की  
धारा 2 का  
संशोधन

2. उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2003 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून, 2004 तक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

बी० लाल,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Act, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 19 of 2003) for general information :

No. 478/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003  
Dated Dehradun, January 01, 2004

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28-12-2003.

#### THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPKALIK VYAVASTHA) ACT, 1972] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003 (UTTARANCHAL ACT No. 19 OF 2003)

For further amendment in The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Act, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002

AN

ACT

It Is HEREBY enacted in the Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title &  
commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be come into force atonce.

Amendment of  
section 2 of the  
Principal Act

2. In section 2 of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 for the words and figures "till December 31, 2003", the words and figures "till June 30, 2004" shall be substituted.

By Order,  
BHAROSI LAL,  
Secretary.